

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ)बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

दिनांक - 16.12.25

क्रमांक रीडर/2025/ 9872
प्रार्थीगण

1 जयसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बाड़मेर गादान 2 कानाराम पुत्र गुणेशाराम जाति राईका निवासी लंगेरा 3 हरीश कुमार पुत्र नारणाराम जाति राईका निवासी मीठडी खुर्द तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 उम्मेदसिंह 2 जालगरसिंह पिरारान सवाईसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बाड़मेर गादान 3 बांकाराम पुत्र धर्मराम जाति राईका निवासी लंगेरा 4 कानाराम पुत्र गुणेशाराम जाति रेबारी 5 हरीश कुमार पुत्र नारणाराम 6 रूपी पत्नि नारणाराम जाति रेबारी निवासी राईको की ढाणी मिठडी खुर्द 7 तिलोकसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बाड़मेर गादान तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :-503/2025

दिनांक- 09/12/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बाड़मेर गादान पटवार क्षेत्र बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 3570/3564 रकबा 3.2761 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी

दिनांक- बाड़मेर

16.12.25

क्रमांक :- रीडर/2025/9873-76

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाड़मेर आगोरतहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगणजयसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बाड़मेर गादान तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण उम्मेदसिंह पुत्रसवाईसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बाड़मेर गादान तहसील व जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर